

तो है कि आप उस

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

इन्द्रा

बनाम

मुकेश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 104/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/03/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती इन्द्रा - रितेश - बीना - राजू - विष्णु - सुरेश

पिता श्री उमाशंकर शाहजा

निवासी- धनौकला

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

धनौकला

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1247, 1248,

1249, 1250, 1251, 1252, 1253

कुल कीता 07 कुल रकबा 1.5700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम धनौकला स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253

कुल कीता 07 रकबा 1.5700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500 रूपये अक्षरे एक हजार पंच सौ रुपया प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

6

(बीनू देवल)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)